घर-घर औषधि योजना

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

Azadi Ka Amrit Mahotsav

कार्यालय उप वन संरक्षक एवं उपक्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना–II, करौली

Mail ID- dcfb.kroli.forest@rajasthan.gov.in Phone No. 07464-297007

क्रमांकः एफ ( ) 2021–22 / एफ.सी.ए / उवसंआरटीआर.II / 4680 दिनांक :– 2.12.22

निमित्

अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड सपोटरा जिला करौली

विषय :- "Construction of Widening ,Strengthening on Kranapur Mandrail –Ond Chandelipura Road (MDR-3A) From Kranpur MDR-3A KM Stone No-00.00 to MDR-3A KM Stone No-34.00, Tehsil–Mandrail ,District -Karauli (Rajasthan)" Proposal No : FP/RJ/ROAD/148609/2021. For Forest clearance.

सन्दर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक 707 दिनांक 04.03.2022, एवं दिनांक 11.07.2022 को आयोजित बैठक कार्यवाही विवरण पत्रांक 2624 दिनांक 22.07.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि करणपुर–मण्डरायल (एमडीआर–3ए) सडक चौडाईकरण व नवीनिकरण हेतु फोरेस्ट स्वीकृति के लिए परिवेष पोर्टल पर अपलाई प्रस्ताव में संशोधनों, क्षेत्रवाईज क्षेत्रफल गणना एवं आवश्यक रिपोर्ट अपलोड / उपलब्ध करवाने हेतु सन्दर्भित पत्र लिखे गऐ थे। दिनांक 11.07.2022 को अधोहस्ताक्षकर्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा कर पुनः बैठक कार्यवाही विवरण पत्रांक 2624 दिनांक 22.07.2022 से प्रस्ताव में आवश्यक संशोधनों, क्षेत्रवाईज सही क्षेत्रफल गणना एवं आवश्यक रिपोर्ट अपलोड कराकर सही प्रस्ताव ही प्रेषित कराने हेतु लिखा गया था परन्तु प्रस्ताव पुनः निम्नानुसार त्रुटियों / अपूर्ण दस्तावेजो से प्रेषित किया गया है–

1. बैठक कार्यवाही विवरण पत्रांक 2624 दिनांक 22.07.2022 के बिन्दु 5 की अनुपालना अभी भी लम्बित है। प्रस्ताव के भाग– II की पूर्ति हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि के आवंटन, केएमएल, टोपोशीट पर मार्किग व जिओ रेफरेंश मैप आवश्यक है।
2. प्रस्ताव से प्रभावित होने वाली समस्त वन भूमि की जमाबन्दी अपलोड नहीं है व राजस्व विभाग से प्रमाणित नहीं है। कृपा समस्त वन भूमि की राजस्व विभाग से प्रमाणित जमाबन्दी अपलोड करावें।
3. प्रस्ताव में अपलोड खसरा मैप राजस्व विभाग से प्रमाणित नहीं है तथा वन बन्दोबस्ती रिकॉर्ड से मिलान नहीं खा रहें है। आवश्यक संशोधन अपेक्षित है।
4. अपलोड बारचार्ट सही नहीं हैं। सही बारचार्ट अपलोड करावें।
5. प्रस्तावित / प्रभावित वन भूमि का खसरा वाईज क्षेत्रफल गणना रिपोर्ट अपलोड करावें।

कृपया बारम्बार अधुरा,समस्त आवश्यक दस्तावेजों / स्वीकृतिओं के बिना प्रस्ताव प्रेषित ना करें इससे राजकार्य प्रभावित होते है व अनावश्यक विलम्ब होता है।

भवदीय

(डॉ0 रामानंद भाकर I.F.S.)
उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक
रणथम्भोर बाघ परियोजना–II करौली

क्रमांकः एफ ( ) 2021–22 / एफ.सी.ए / उवसंआरटीआर.II / 4681 दिनांक :– 2.12.22

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक रणथंभौर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक
रणथम्भोर बाघ परियोजन–II करौली

C:\Users\indian\Desktop\FCA LETTER.docx